I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0469

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

22

प्र0क्र0 सन् 2017

1) हरिश्चन्द्र तनय भैरो कुशवाहा

2) छोटेलाल तनय भैरो कुशवाहा

निवासीगण ग्राम गहरवार तह. व जिला छतरपुर (म0प्र0).. **निगरानीकर्ता**

बनाम

कम्मोद सिंह तनय पूरन सिंह ठाकुर

निवासी ग्राम गहरवार तह. व जिला छतरपुर (म0प्र0).. उत्तरवादी

कार्यालय कलेक्टर
जिला छतरपुर म0प्र0
स्तुतकर्ता का नाम श्री आर॰ एस॰ चतुर्वेदी, एड॰
खा का नाम प्रवाचक, कलेक्टर
नांक 06/01/2018

निगरानी व नाराजगी प्र.क्र. 21/अ-12/2016-17 कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल ईशानगर में पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित सादर निगरानी प्रस्तुत करता है कि-

1) यह कि भूमि खसरा नम्बर 1481 स्थित ग्राम गहरवार आवेदक/निगरानीकर्ता के स्वत्व एवं आधिपत्य के आराजी है जो बन्दोवस्त वर्ष 1998-99 के पूर्व खसरा नम्बर 644 रकवा 0-247 हैक्टे. थी जिसका नया नम्बर 1481 बनाया गया है जिसें पूर्ण रकवा 0.247 हैक्टे. के बजाए 0.120 हैक्टे. रकवा लेख कर दिया है। जिसका संशोधन किये जाने बावत् पृथक से प्रकरण विचाराधीन है।

2) यह कि बन्दोवस्त के पूर्व उक्त भूमि का नक्शा सही था उसी अनुसार निगरानीकर्ता काबिज हैं परन्तु वर्तमान कम्प्यूटर खसरा में खसरा नम्बर 1481 को छोटा कर दिया है तथा 1482 को बड़ा कर दिया है तथा निगरानीकर्ता का रकवा 0.247 से घटाकर 0.120 हैक्टे. कर दिया उसी अनुसार नक्शा बना दिया है जिसे संशोधन हेतु एक प्रकरण निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-5/16-17 सक्षम न्यायालय में धारा 89 का प्रस्तुत किया। जो विचाराधीन है।

3) यह कि उक्त परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाने की नियत से अनावेदक कम्मोद सिंह ने राजस्व निरीक्षक से मिलकर फर्जी सीमांकन केवल कागजों में कराया है जो प्रथम दृष्टया फर्जी तथा केवल कागजों पर होने से निरस्त योग्य है इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से समय सीमा के अन्दर है तथा श्रीमान् द्वारा श्रवण किये जाने योग्य है।

//निगरानी के आधार//

4) यह कि दिनांक 11.11.2017 को अनावेदक निगरानीकर्ता की भूमि पर बारी लगाने 8-10 लोगों को लेकर पहुंचे तो निगरानीकर्ता ने उन्हें मौके से भगा दिया तथा कब्जा नहीं करने दिया। तब अनावेदक ने बताया कि उक्त भूमि सीमांकन में हमें मिली है इस तथ्य की जानकारी लेने निगरानीकर्ता पटवारी के पास पहुंचा तो पटवारी बताया

(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0469

हरिशचंद्र विरूद्ध कम्मोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल ईशानगर के प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	